नीट यू0जी0 2018 की प्रथम कांउसिलिंग से आवंटित अभ्यर्थियों के लिये सामान्य निर्देश–

- **शासनादेश दिनांक 18.06.2018 द्वारा शैक्षणिक सत्र–2018–19 के अन्तर्गत सुभारती मेडिकल कालेज मेरठ का शिक्षण शुल्क रू0 8,50,000/– निर्धारित किया गया है। सुभारती मेडिकल कालेज में आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों को रू0 8,50,000/– का बैंक ड्राफ्ट नोडल सेन्टर पर जमा कर प्रवेश लिया जायेगा।**
- धरोहर धनराशि (Security Money) राजकीय क्षेत्र हेतु रू0 30,000/– तथा निजी क्षेत्र हेतु रू0 2,00,000/– का बैंक ड्राफ्ट अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में नोडल सेन्टरों पर जमा किया जा चुका है, का समायोजन कालेज की फीस में नही किया जायेगा।
- जिन अभ्यर्थियों को राजकीय क्षेत्र की सीट आवंटित हुयी है, वे अभ्यर्थी संबंधित राजकीय मेडिकल कालेज/संस्थान/विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रकिया पूर्ण करेगें तथा निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेंटल कालेज में आवंटित अभ्यर्थी नोडल सेन्टर पर प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण करेगें, जिसका उल्लेख अभ्यर्थी द्वारा डालनलोड किये गये आवंटन पत्र पर अंकित है।
- अभ्यर्थियों द्वारा नोडल सेन्टर पर प्रवेश के समय मूल अभिलेखों सहित उपस्थित होना अनिवार्य होगा। ऐसे अभ्यर्थी जो आल इण्डिया कोटे की प्रथम काउंसिलिंग से किसी भी मेडिकल/डेन्टल कालेज में प्रवेशित है, उन्हे नीट यू0पी0 यू0जी0 2018 की प्रथम कांउसिलिंग से आवंटन प्राप्त होने के पश्चात् प्रवेश के समय अपने मूल अभिलेख प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, किसी भी दशा में एन0ओ0सी0 मान्य नही होगी।
- अभ्यर्थियों द्वारा निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेन्टल कालेज का शिक्षण शुल्क ट्यूशन फीस (Tution Fee) जो शासन द्वारा निर्धारित है, का बैंक ड्राफ्ट जो **"महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0"** (***Director General, Medical Education & Training, U.P.*** **payable at Lucknow**) के पक्ष मे देय हो, नोडल सेन्टर पर जमा करना अनिवार्य होगा।
- **आवंटित अभ्यर्थियों द्वारा प्रवेश न लेने की दशा में धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी। ऐसे अभ्यर्थी यदि द्वितीय काउंसिलिंग में प्रतिभाग करना चाहते है तो उन्हे पुनः धरोहर धनराशि (Security Money) अभ्यर्थियों द्वारा जमा करना अनिवार्य होगा।**
- प्रथम काउंसिलिंग से आंवटित अभ्यर्थी प्रवेश प्रकिया पूर्ण कराने के उपरान्त ही द्वितीय काउंसिलिंग हेतु सीट अपग्रेडेशन (Upgradation/Resufling) हेतु अर्ह होगें। यदि द्वितीय काउंसिलिंग से सीट अपग्रेड हो जाती है तो प्रथम काउसिलिंग से आवंटित सीट स्वतः निरस्त हो जायेगी, तथा वह सीट अन्य अभ्यर्थी को मेरिट/विकल्प के अधार पर आवंटित हो जायेगी। यदि अभ्यर्थी द्वारा दिये गये विकल्प पर सीट उपलब्ध नही होती है तो प्रथम काउंसिलिंग से प्रवेशित सीट उसी अभ्यर्थी को रीटेन (Retain) हो जायेगी।
- **सिक्योरिटी फीस/हास्टल फीस द्वितीय चक्र की कांउसिलिंग के उपरान्त ही प्रवेशित निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेंटल कालेज में जमा की जायेगी।**
- **प्रथम कांउसिलिंग में रजिस्टर्ड अभ्यर्थी जिनकी रजिस्ट्रेशन फीस जमा है, द्वितीय काउंसिलिंग में उन्हे पुनः रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नही है।**
- **प्रवेश प्रकिया सुचारू से सम्पादित कराये जाने हेतु दिनांक 07.07.2018 एवं 08.07.2018 (दिन–शनिवार एवं रविवार) को भी नोडल सेन्टर खुले रहेगें।**
- अन्य महत्वपूर्ण सूचनायें एवं विस्तृत विवरण हेतु वेबसाईट ***https://upneet.gov.in & www.updgme.in*** पर देखी जा सकती है। अद्यतन सूचनाओं की जानकारी हेतु समय–समय पर उक्त वेबसाईट का अवलोकन करते रहें।

****